# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम

## हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी.ओ

11/2/21 पत्रावली पेश। [illegible] से [illegible] तलबी नोटिस जारी किया गया जो जवाब [illegible] की जानी है वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 23.2.21 को पेश हो। तब तक T-1 को [illegible] की जाती है।

23/2/21 पत्रावली पेश। प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 9.3.21 को पेश हो।

9/3/21 पत्रावली पेश। [illegible] के कारण आदेश नहीं सुनाया जा सका। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 15.3.21 को पेश हो।

15/3/21 पत्रावली पेश। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत [illegible] पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली [illegible] [illegible] से [illegible] तथा [illegible] [illegible] है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:38:42 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर) राज.
पीठासीन अधिकारी - श्री गंगाधर मीणा RAS

| प्रतिवेदन पत्र संख्या | दायरा दिनांक | निर्णय दिनांक |
| --- | --- | --- |
| 230/2018 | 11.10.2018 | 15.3.2021 |

अनुवादी

[1] रामसिंह पुत्र बोदा जाति गुर्जर
[2] संतराम पुत्र नत्थू जाति गुर्जर
[3] रामपाल पुत्र प्रभाती जाति गुर्जर निवासी गादेरमल तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज.)

-प्रार्थीगण

बनाम

[1] नरेगा अधिकारी परन विकास अधिकारी कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज.)

-अप्रार्थी

[2] अमरसिंह पुत्र बोदा
[3] सुखराम पुत्र बोदा
[4] ओमसिंह पुत्र नत्थू
[5] कन्हैया पुत्र प्रभाती
[6] गिरधारीलाल पुत्र प्रभाती जाति गुर्जर निवासीगण गादेरमल तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज.)

तर. अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. टी. के. आदेश 39 नियम 1 व 2 व सपठित धारा 151 [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:38:42 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित :-
[1] श्री नरहरि [illegible] अभिभाषक प्रार्थीगण
[2] श्री [illegible] अप्रार्थी सं. 1 अनुपस्थित

प्रार्थी ने मय अधिवक्ता इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपने वाद को [illegible] एक प्रार्थना पत्र अं.धा. 212 राज. टी. के. का इस आशय का पेश किया कि आराजी ख.नं. 461/0.4300 हे०

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

462/0.4400, 465/0.7500 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल वाके ग्राम गाहेखाला तहसील कोटकासिम प्रार्थीगण व तर. अप्रार्थीगण की काश्त बाबत खातेदारी की आराजी है। उक्त आराजीयात पर हम-सर खातेदारान प्रार्थीगण व तर. अप्रार्थीगण व अन्य ने आपसी रजामन्दी से बाहमी तौर पर विभक्त कर काबिज व दाखिल है। आराजी ख.नं. 461 वादी नं 2 समाराम व तरतीबी प्रतिवादी, ओमासिंह काबिज व दाखिल बतौर खातेदार है तथा ख.नं. 462 प्रार्थी रामसिंह व तर. अप्रार्थी अमरसिंह व सुरजाराम काबिज व दाखिल है तथा ख.नं. 465 पर प्रार्थी रामपाल, कन्हैया, किशोरीलाल पिता परमाती काबिज व दाखिल है। उक्त तीनों ही खेतों के चारों तरफ की डोल अलहदा-अलहदा सदैव से कायम है जो डोल करीबी है तथा जिनका रकबा जमाबन्दी में दर्ज है यद्यपि मौके पर उतना नहीं है फिर भी चूंकि करीबी डोल कायम है जिसके बावजूद असल अप्रार्थी, प्रार्थीगण व तर अप्रार्थीगण के ख.नं. 461, 462, 465 की पश्चिमी डोल को मिसमार करने को आमादा है। प्रार्थीगण व तर. अप्रार्थीगण के खसरा नम्बरान की पश्चिम की डोल पश्चात तरफ पश्चिम में रास्ता है जो ख.नं. 461, 462, 465 एवं 437 के दरमियानी है ऐसा नक्शा ट्रेस में उल्लेख है जो ख.नं. 437 के खातेदारान सिंघा पुत्र युद्ध वगैरह का है जिन्होंने रास्ते की भूमि को जोतकर अपने खेत में मिला लिया है। अब असल अप्रार्थी ख.नं. 437 के खातेदारान से साज बाज होकर हम प्रार्थीगण व तर. अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि मुतनाजा की पश्चिमी करीबी डोल को मिसमार कर रास्ता छोड़कर एवं मुतदाविया भूमि में जबरन प्रवेश कर बिला ट्रैक्टर कर बिना मुआवजा दिये जबरन बेदखल कर नवीन रास्ता कायम करने पर आमादा है। दिनांक 17.9.2018 को मुतनाजा आराजी के पास बुल्डोजर, जे.सी.बी. व अन्य आधुनिक संयन्त्र लाकर विवादित आराजी की [illegible] डोल को मिसमार करने पर आमादा हुए। प्रार्थीगण [illegible] व तर. अप्रार्थीगण, असल अप्रार्थी को हुक्म इम्तनाई [illegible] जारी कराने का अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र के साथ रजिस्टर्ड शपथ पत्र पेश करने पर अप्रार्थीगण को उपस्थिति नोटिस तलब किया गया। असल अप्रार्थी न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब दावा पेश किया जिसका विवरण निम्नप्रकार से है

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:38:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

असल अप्रार्थी ने अपने जवाब दावा में अंकित किया कि अप्रार्थी द्वारा सेडाराम के घर से रामनगर रोड की तरफ नरेगा कोरीडोर सड़क का निर्माण ख.नं. 449/1.1500 है. वाके ग्राम जाहिदपुर गैर मुमकिन में किया जा रहा है। प्रार्थीगण व तर. अप्रार्थीगण द्वारा इसको झूठा वाद न्यायालय श्रीमान के पेश किया गया है। आराजी ख.नं. 449 गैर मुमकिन रास्ता से वादीगणों व तर. प्रतिवादीगणों का कोई लेना देना नहीं है नरेगा के तहत ही जो आम रास्ता है उसी में से रास्ते का निर्माण किया जा रहा है। वादीगण व तर. प्रतिवादीगण की आराजीयात में से किसी भी प्रकार का रास्ता का निर्माण उनके खाते को स्वीकार नहीं किया जा रहा है और ना ही कोई डोल मिसमार की जा रही है। प्रार्थीगण व तर. अप्रार्थीगण झूठा मुकदमा करते है उसे झूठे तरीके से उक्त रास्ते को नरेगा के तहत नहीं बनाने देते हैं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है। खारिज फरमाया जावे।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण/प्रार्थीगण सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराया और कहा कि विवादित आराजीयात मिन प्रार्थीगण व तर. अप्रार्थीगण की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी है। जिसमें वर्षों पुराना से पुख्ता डोल कायम है। लेकिन असल अप्रार्थी ख.नं. 437 के खातेदारान से मिलीभगत होकर मिन प्रार्थीगण व तर. अप्रार्थीगण की पश्चिमी डोल को तोड़कर रास्ता नरेगा का कायम करना चाहता है। ख.नं. 437 के खातेदारान द्वारा उक्त रास्ते को तोड़कर अपने खेत में मिला लिया है। अगर अप्रार्थी असल अपने नापाक इरादे में कामयाब हो जाये तो मिन प्रार्थीगण व तरतीब अप्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर असल अप्रार्थी को हुक्म इम्तनाई जारी कर जरिये ले. पाबन्द किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता असल अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन है कि रास्ते का ख.नं. 449/1.1500 हेक्टेयर गैर मुमकिन में किया जा रहा है। आराजी ख.नं. 449 गैर मुमकिन रास्ते से प्रार्थीगण व तर. अप्रार्थीगण का कोई लेना देना नहीं है। नरेगा के तहत जो आम रास्ता है उसी में से रास्ते का निर्माण कार्य किया जा रहा है। वादीगण व तर. प्रतिवादीगण की आराजीयात में से किसी भी प्रकार के रास्ते का निर्माण उनकी रजामंदी को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:38:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(अलवर)

विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर सुना तथा पत्रावली व संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता का कथन है कि विवादित आराजीयात की पक्की डोल को अलग अप्रार्थी निर्माण करने पर आमादा है और नवीन रास्ता बनाने की तरह बनाया जा रहा है। जबकि विद्वान अप्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि ख.नं. 449 गैर मुमकिन रास्ता है और गैर मुमकिन रास्ते में ही नरेगा द्वारा कार्य किया जा रहा है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की आराजी को नुकसान नहीं किया जा रहा है। हमने जमाबन्दी व पेश शुदा नक्शों का अवलोकन किया। ख.नं. 449 रास्ता दर्ज रिकार्ड है। अलग अप्रार्थी ने अपने जवाब दावा में अंकित किया है कि नरेगा के तहत रास्ता ख.नं. 449 में काम रहा है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की आराजी को नुकसान नहीं पहुँचाया जा रहा है। प्रार्थीगण अपने केस में प्रथम दृष्टया केस साबित नहीं कर पाये है। जब प्रथम दृष्टया केस प्रार्थीगण के हक में साबित नहीं है तो सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के हक में साबित नहीं होती है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. भू.रा. अधि. सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 व सपठित धारा 151 जा.दी. खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15.3.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:38:42 IST
Reason: SelfAttested